राजस्व वाद सं. 107/2020 RCMS-2020/00344

सरकार / बेद प्रकाश वगै.

16/6/2021

पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश मे बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 11.8.2021 को पेश हो

19.7.2021

वकील अप्रार्थी के द्वारा वकालत नाम एवं आवेदन प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई, वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम खारिया के खसरा नम्बर 938/739 939/754 खातेदारी की आई हुई है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है, उपरोक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थी के विरूद्व माननीय न्यायालय में दर्ज होकर अप्रार्थी के विरूद्व एक–पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उपरोक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, परन्तु माननीय न्यायालय में वाद व स्थगन आदेश प्रभावी होने से उक्त भूमि के रूपान्तरण की कार्यवाही बाधित हो रही है, इसलिए कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे ताकि वादग्रस्त भूमि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रूपान्तरित की जा सके।

प्रकरण में उभय पक्षकार एवं प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित आये , जिन्हे सुना गया। दोनो पक्षों ने अपने अपने पक्ष में तर्क दिये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा इस शर्त के साथ खारिज की जाती है कि अप्रार्थी शीघ्र ही अपनी उपरोक्त खसरान की भूमि प्राधिकृत अधिकारी के यहॉ से रूपान्तरित करवा ले। प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.07.29 17:49:28 IST
Reason: SelfAttested